

🐦 twitter-@rampurpolice 📘 FB-रामपुर पुलिस 📠 Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

थाना टाण्डा:- पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने में तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार, चोरी की ट्रॉली व 02 नाजायज तमंचे बरामद-

दिनांक 09-09-2021 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र मेगराज सिंह निवासी ग्राम फत्तावाली कस्बा दढियाल थाना टाण्डा जनपद रामपुर ने थाना टाण्डा पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 08-09-2021 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर के बाहर खड़ी ट्राली चोरी कर ली गयी है। वादी श्री देवेन्द्र सिंह उपरोक्त की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना टाण्डा पर मु0अ0सं0-300/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी स्वार के नेतृत्व में आज थाना टाण्डा पुलिस टीम सूचना के आधार पर चौकी दढियाल क्षेत्रान्तर्गत रजपुरा डैम के पास जाकर देखा तो वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस द्वारा अपने-आपको बचाते हुए तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया एवं महिन्द्रा अर्जुन 555डीआई ट्रैक्टर में लगी एक चोरी की ट्राली व 02 अद्द नाजायज तमंचे मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 01- आसिफ पुत्र महबूब नि0 अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जिला बिजनौर ।
- 02- आरिफ पुत्र जलालुद्दीन नि0 चाँदीपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर ।
- 03- सुमित कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि0 पूरनपुर स्थाना थाना नूरपुर जिला बिजनौर ।

बरामदगी:-

- 01- महिन्द्रा अर्जुन 555डीआई ट्रैक्टर में लगी चोरी की ट्राली,
- 02- अभियुक्त आसिफ के कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस नाल में फंसा व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ।
- 03- अभियुक्त आरिफ के कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस नाल में फंसा व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही:-

- 01- मु0अ0सं0-300/2021 धारा 379,411 भादवि बनाम आसिफ आदि 03 नफर।
- 02- मु0अ0सं0-302/2021 धारा 307 भादवि बनाम आसिफ आदि 03 नफर।
- 03- मु0अ0सं0-303/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आसिफ
- 04- मु0अ0सं0-304/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आरिफ

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 01- उ0नि0 श्रीपाल सिंह प्रभारी चौकी दढियाल थाना टाण्डा
- 02- हे0का0 406 गुरदीप सिंह
- 03- का0 411 देवेन्द्र कुमार
- 04- का0 1305 दिनेश कुमार

थाना टाण्डा :-सक्रिय अपराधी 1.500 किग्रा नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा० संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी स्वार के निर्देशन में आज दिनांक 09-09-2021 को थाना टाण्डा पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधी मकबूल पुत्र मियां जान निवासी ग्राम चक खरदिया थाना टाण्डा, रामपुर को रूपपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1.500 किग्रा० नाजायज चरस बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मकबूल पुत्र मिया जान नि० ग्राम चक खरदिया थाना टाण्डा जिला रामपुर

बरामदगी:-

1.500 किग्रा नाजायज चरस बरामद।

अभियुक्त मकबूल का आपराधिक इतिहास :-

- 01- मु०अ०सं०-176 / 1993 धारा 147 / 148 / 149 / 307 भादवि थाना टाण्डा, रामपुर।
- 02- मु०अ०सं०-177 / 1993 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना टाण्डा, रामपुर।
- 03- मु०अ०सं०-23। / 1996 धारा 452 / 504 / 506 भादवि थाना टाण्डा, रामपुर।
- 04- मु०अ०सं०-229 / 1997 धारा 3 / 4 गुण्डा अधि० थाना टाण्डा, रामपुर।
- 05- मु०अ०सं०-294 / 1997 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना टाण्डा, रामपुर।
- 06- मु०अ०सं०-65 / 02 धारा 110 जी०दं०प्र०सं० थाना टाण्डा, रामपुर।
- 07- मु०अ०सं०-142 / 03 धारा 323 / 504 / 308 / 325 भादवि थाना टाण्डा, रामपुर।
- 08- मु०अ०सं०-115 / 05 धारा 3 / 4 गुण्डा अधिनियम थाना टाण्डा, रामपुर।
- 09- मु०अ०सं०-418ए / 12 धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 504 / 506 भा०दं०वि० थाना टाण्डा, रामपुर।
- 10- मु०अ०सं०-422 / 12 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना टाण्डा, रामपुर।
- 11- मु०अ०सं०-377 / 18 धार 147 / 148 / 149 / 452 / 323 / 504 / 308 / 506 भादवि थाना टाण्डा, रामपुर।
- 12- मु०अ०सं०-669 / 15 धारा 110जी दं०प्र०सं० थाना टाण्डा, रामपुर।
- 13- मु०अ०सं० 516 / 18 धारा 147 / 452 / 323 / 506 / 308 / 336 भादवि थाना टाण्डा, रामपुर।
- 14- मु०अ०सं० 203 / 20 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना टाण्डा, रामपुर।

कार्यवाही:-

मु०अ०सं०-301 / 21 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली टीम:- थाना टाण्डा

1. व०उ०नि० श्री मदनपाल सिंह,
2. हे०का० 325 योगेन्द्र सिंह,
3. का० 240 राजीव कुमार।

थाना शाहबाद:—छेडछाड करने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने में 01 बाल अपचारी व 02 अन्य अभियुक्तगण गिरफ्तार—

मिन्टू पुत्र किशनपाल आदि 05 अभियुक्तगण द्वारा थाना शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की लडकियों के साथ अश्लील इशारे कर छेडछाड करने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0—309/21 धारा 147,294,352,354,506 भादवि व 3(द),3(ध),3(1)(W)(I) एससी—एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम मिन्टू आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 09—09—2021 को थाना शाहबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी व 02 अन्य अभियुक्तगण को बरखेडा तिराहा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता—

01—रवि (बाल अपचारी),

02—विजय पुत्र लालाराम निवासी ग्राम जयडौली थाना शाहबाद, रामपुर।

03—मिन्टू पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम जयडौली थाना शाहबाद, रामपुर।